

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

विदित हो कि दिनांक - 27.09.2015 को हाई कोर्ट के विशेष अधिवक्ता श्री मधुरेश प्रसाद द्वारा इस चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल परिसर का सम्पूर्ण मुआयना किया गया, जिसमें उन्होंने इस परिसर में सभी ओर घूमकर निरीक्षण किया एवं सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि बिन्दुओं पर अपना मंतव्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया।

उक्त आलोक में दिनांक - 29.09.2015 को 1:00 बजे अप0 में अधोहस्ताक्षरी के प्रकोष्ठ एक बैठक आहुत की जाती है, जिसमें इस चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक (Hospital Manager) तथा सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी के सुपरवाइजर एवं कॉन्ट्रैक्टर ससमय इस बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेने का कष्ट करेंगे।

प्रभारी प्राध्यापक (प्र0) एवं डा0 विनोद कुमार, सह - प्राध्यापक, एनाटोमी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ससमय उक्त बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।


ह0/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:-1637/15

दिनांक:-28/9/15

प्रतिलिपि:-

- 1) अधीक्षक/उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 2) प्रभारी प्राध्यापक (प्र0)/डा0 विनोद कुमार, सह - प्राध्यापक, एनाटोमी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, एनाटोमी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 4) Hospital Manager, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5) सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी के सुपरवाइजर/कॉन्ट्रैक्टर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 6) संबंधित स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 7) I.T. Sec., श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर